न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–248 / 2018

बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम अशोक सहनी एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख सहित
13/3/....2020	**आदेश** प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–1452 / गो0 (नगर पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, दरभंगा) दिनांक–02.10.2018 से प्राप्त सदर (मब्बी ओ0पी0) थाना कांड सं0–317 / 18 दिनांक 13.08.2018 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन (1) पैशनप्रो मोटरसाईकिल रजि0नं0–BR07Q-9950 (2) स्कूटी इंजन नं0–EG4AJ-1155744 (3) स्कूटी इंजन नं0–EGNNH-1134509 (4) स्कूटी रजि0नं0–BR07L-0847 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी है। सामान्य अनुक्रम में सभी वाहन के वाहन स्वामी का नाम / पता हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा को निदेशित किया गया। तदालोक में प्रतिवेदन प्राप्त है, जो निम्न प्रकार है। (1) वाहन सं0–BR07Q-9950 के स्वामी संजय कुमार सहनी (2) स्कूटी इंजन नं0–EG4AJ-1155744 का पंजीयन सं0–BR07AC-7279 के स्वामी संतोष सहनी (3) स्कूटी रजि0नं0–BR07L-0847 के स्वामी श्रवण कुमार केडिया है। एक वाहन स्कूटी इंजन नं0–EGNNH-1134509 के स्वामी का नाम / पता अप्राप्त है। इस प्रकार प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में तीन वाहन स्वामी को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में विपक्षी वाहन स्वामी श्रवण कुमार केडिया BR07L-0847 की ओर से कारण पृच्छा दाखिल है तथा अन्य दो वाहन स्वामी की ओर से कारण पृच्छा अप्राप्त है। न्यायहित में उनके विरूद्ध एक पक्षीय सुनवाई की गयी। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल को रात्रि गश्ती के क्रम में गुप्त सूचना मिली कि ग्राम तेलिया पोखर में राम सजीवन सहनी के घर पर शराब आने की सूचना है, जिसे बाईक एवं स्कूटी से पहुँचाने की योजना है। उक्त सूचना की जानकारी वरीय पदाधिकारी को देते हुए उक्त स्थल के लिए प्रस्थान किया गया। तेलिया पोखर पर पहुँचने पर राम सजीवन सहनी के घर के आँगन एवं बरामदा की ओर पहुँचे तो देखा कि राम सजीवन के घर में कुछ लोग हैं। साथ ही आँगन में चार वाहन लगे हुए हैं। जैसे ही उसके घर की तरफ पुलिस दल पहुँची कि सभी लोग भागने लगे। पुलिस बल के द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ा गया। घर की तलाशी दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष की गयी तो बरामदा, आँगन एवं रसोई घर से बोरा एवं थैला में विदेशी शराब रखा हुआ था तथा कुछ शराब सीढ़ी के पास खुले में भी रखा हुआ पाया गया। बरामद शराब का गिनती स्वतंत्र साक्षी के समक्ष किया गया, जिसमें (1) Kingfisher कम्पनी का 40 पीस 500ml वाला बीयर (2) 10 बोतल Blenders Pride का 750ml वाला (3) 12 कार्टून एवं 09 बोतल Royal Stag कम्पनी का प्रत्येक कार्टून में 12 बोतल 750ml वाला कुल 153 बोतल (4) 25 कार्टून Officer's Choice का प्रत्येक कार्टून में 48 पीस कुल 1200 पीस विदेशी शराब बरामद हुआ। उक्त स्थल से चार वाहन प्राथमिकी के अनुसार बरामद किया, जिसे विधिवत् जब्त किया गया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन	

अथवा भण्डारण दण्डनीय अपराध है। परन्तु उक्त वाहनों से शराब बरामद नहीं हुआ है। अतः विधि सम्मत् आदेश पारित किया जा सकता है।

विपक्षी वाहन स्वामी BR07L-0847 की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि उक्त वाहन स्कूटी को उनके द्वारा दिनेश सहनी पिता–किशोरी सहनी को बिक्रीनामा एवं अन्य कागजात के माध्यम से बेच चुके हैं। उक्त वाहन से उन्हें सरोकार नहीं है। जो भी उचित आदेश हो उक्त वाहन के लिए पारित किया जाय उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

विद्वान् विभागीय अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि राम सजीवन सहनी के घर के आँगन एवं बरामदा से भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ है। जब्त वाहनो से शराब बरामदगी का जिक्र प्राथमिकी अथवा पर्यवेक्षण टिप्पणी में अंकित नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के विभिन्न वादों में पारित आदेश में निदेशित है कि वाहन से शराब बरामद नहीं होने पर राज्यसात् की कार्यवाही नहीं किया जाना है। उक्त के आलोक में जब्त वाहनों का राज्यसात् किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है।

अतएव सदर (मब्बी ओ0पी0) थाना कांड सं0–317/18 दिनांक 13.08.2018 में जब्त वाहन (1) पैशन प्रो मोटरसाईकिल सं0–BR07Q-9950 (2) स्कूटी इंजन नं0–EG4AJ-1155744 जिसका पंजीयन सं0–BR07AC-7279 (3) स्कूटी रजि0नं0–BR07L-0847 (4) स्कूटी जिसका थाना से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वास्तविक इंजन नं0–EG4NH-1134509 पंजीयन संख्या– BR07AB-9327 को बन्धपत्र, अन्डरटेकिंग तथा वाहन के बीमित मूल्य के बराबर एक प्रतिभूति दाखिल करने के उपरान्त विमुक्त करें।

अभिलेख पुनः दिनांक 31/3/20 को रखें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा